08

सं0– 1387/XXVIII–4–2012–44(10)/2012

प्रेषक,

अतर सिंह
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 31 : अक्टूबर, 2012

विषय– सचल चिकित्सा वाहनों के संचालन/प्रबन्धन हेतु प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–16प/वाहन/5/2008/22207 दिनांक 23.06.2012 एवं सं0–16प/वाहन/5/2008/25251 दिनांक 17.07.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित सचल चिकित्सा वाहनों के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु निष्पादित अनुबन्धों की शर्तो के अधीन तथा शासनादेश संख्या 194/XXVIII-4(1)-2009-02/2008 दि0 15.01.2010 के क्रम में सचल चिकित्सा वाहन द्वारा प्रदत्त करायी गयी चिकित्सा सुविधा के सापेक्ष माह मई से जुलाई, 2012 तक ₹163.22 लाख (₹एक करोड़ तिरसठ लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रम सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं की उक्त अवधि हेतु संस्तुत धनराशि
1	2	3
1.	मै0 राजभ्रा मेडिकेयर, नई दिल्ली	20.52
2.	मै0 डा0 जैन वीडियो ऑन व्हील्स, नई दिल्ली	142.70
	कुल योग	163.22

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर सचल चिकित्सालयों के संचालन हेतु संचालनकर्ता फर्म को उनके साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा स्वीकृत दरों के अनुरूप नियमानुसार देय धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की जायेगी ।
2. प्रस्तुत किये गये बीजकों से ₹87.88 लाख की धनराशि कटौती के समायोजन हेतु रोकी गयी है।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28.03.2012 एवं 193/XXVII(I)/2012 दि0 30.03.2012 एवं 321/XXVII(I)/2012 दि0 19.06.2012 में दी गई इंगित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
4. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सचल चिकित्सा वाहनों का संचालन एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जा रहा है ।
5. भविष्य में धनराशि के प्रस्ताव के साथ सभी जनपदों की औचक निरीक्षण आख्या प्राप्त कर पूर्व की निरीक्षण आख्या के आधार पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को कैम्प के समय पूर्व इंगित कमियों यथा सम्बन्धित सेवा प्रदाता को वैन में लगे सभी चिकित्सा उपकरणों को सुचारू रूप से कार्य करने की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के आरम्भ सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं तद्नुसार आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।
6. सेवा प्रदाता फर्म को उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित लेखा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. सचल चिकित्सा वाहनों के कैम्प की निरीक्षण आख्या के साथ–साथ आपके पत्र दिनांक 14.03.2012 के सन्दर्भ में समस्त जनपदों से औचक निरीक्षण आख्या प्राप्त किये जाने हेतु प्रत्येक माह में योजना के नोडल अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उक्त औचक निरीक्षण आख्या अप्राप्त रहने की दिशा में सम्बधित अधिकारी चका उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए। सचल चिकित्सा वाहनों की औचक निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 22.08.11 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सक्षम इंगित सक्षम प्राधिकारियों के स्तर से ही औचक निरीक्षण आख्या प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. वाहनों में स्टॉफ की अनुपलब्धता होने पर सम्बंधित फर्म को तत्काल नोटिस देते हुए उक्त के सम्बन्ध में आपेक्षित कार्यवाही कर स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। चिकित्सा वाहनों में उपलब्ध मशीनों के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर यथाशीघ्र (अधिकतम एक सप्ताह के भीतर) उन्हें ठीक कराने हेतु कार्यदायी दोनों संस्थाओं को निर्देशित कर ठीक कराने की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए।
9. सचल चिकित्सा वाहनों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में यदि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्म द्वारा समयबद्ध कार्यवाही न की जा रही हो, तो अनुबन्ध के शर्तों के अधीन उसके विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
10. सचल चिकित्सा वाहन से सम्बन्धित फर्मो को उक्त कार्य के लिये हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के प्राविधानों एवं पूर्व में औचक निरीक्षण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए यथाआवश्यक निर्देश समयान्तर्गत देकर उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06–लोक स्वास्थ्य 101–रोगो का निवारण तथा नियंत्रण 99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–117(P)/XXVII(3)/2012–13 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0– 1387 (1)/XXVIII–4–2012–44(10)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, देहरादून उत्तराखण्ड ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6. मै0 राजश्री मेडिकेयर, एन–18ए, द्वितीय तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110 016
7. डा0 जैन वीडिया ऑन व्हील्स लि0, जैन स्टूडियो कैम्पस, सिन्धिया विला, सरोजनी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली–110 023
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3 एंव 1/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अतर सिंह)
उप सचिव

PPP G.O